



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266972
CG-DL-E-16102025-266972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4574]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4574]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4703(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 22 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार इकाईयों के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क के भाग, जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 के अधीन तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाओं से संबंधित है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम. सं.	दूरसंचार सेवा	दूरसंचार नेटवर्क का भाग
1.	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा	पनडुब्बी केबल

[फा. सं. 18-29/2025/टीटीएससी/सीटीआई भाग1]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4703(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 22 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby declares the part of telecommunication network specified under column (3) of the Table below of the telecommunication entities relating to the telecommunication services specified in the corresponding entry under column (2) of the said Table as Critical Telecommunication Infrastructure for the purposes of the said Act, namely:-

TABLE

Sl. No.	Telecommunication service	Part of telecommunication network
(1)	(2)	(3)
1.	International Long Distance Service	Submarine Cables

[F. No. 18-29/2025/TTSC/CTI part1]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.